उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-21/2022/053/41-2022-87(बजट)2021-टी0सी0
लखनऊ:: दिनांक 07 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद सम्भल के वि0क्षे0-सम्भल में शेरजंग जी ज्यारत, मुरादाबाद रोड का पर्यटन विकास हेतु शासनादेश सं0-491/2021/आई/104444/41-1002(001)/58/2021, दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 के माध्यम प्रशासकीय स्वीकृति रू0 47.97 लाख एवं प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति रू0 23.98 लाख निर्गत की गयी थी। तत्क्रम में निदेशालय के पत्र सं0-6418/मु0मं0प0सं0यो0(72)/2021, दिनांक 07.01.2021 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रायोजना को श्री राज्य पाल महोदय एतद्द्वारा निरस्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. जिलाधिकारी, सम्भल।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 8, 9 व 10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद।
10. अधिशाषी अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद, मुरादाबाद।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in